

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौरकिस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना-पत्र नम्बर 255 / 2021

GCMS No. 2021/332

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

03.09.2021

राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी के द्वारा ग्राम हीराणी पटवार मण्डल हीराणी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1123/292 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट "ए" अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफतर हो।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

